भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2582

जिसका उत्तर मंगलवार, 18 फरवरी 2014 को दिया जाना है

ऑटोमोबाइल उद्योग पर दबाव

2582. श्री राजकुमार धूत:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में ऑटोमोबाइल उद्योग उत्पादों, विशेष रूप से ट्रकों और अन्य भारी वाहनों तथा कारों आदि की बिक्री न होने एवं अन्य कारणों से दबाव में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ऑटोमोबाइल उद्योग को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) और (ख): जी, हां। उत्पादों, विशेषकर ट्रकों तथा अन्य भारी वाहनों और कारों आदि की कम बिक्री और अन्य कारणों अर्थात् विभिन्न प्रकार के वाहनों पर शुल्कों की उच्च दर, उच्च ब्याज दर, निर्यात बाजार की कम वृद्धि, उच्च और भिन्न सड़क-कर, सन्निहित कर संरचना की वजह से भी ऑटोमोबाइल सेक्टर फिलहाल दबाव में है।

अप्रैल, 2013 से जनवरी, 2014 की अवधि में विभिन्न वाहनों की घरेलू बिक्री का विवरण निम्नवत है:-

श्रेणी	घरेलू बिक्री		
सेगमेंट/उप-सेगमेंट	अप्रैल-जनवरी		
	2012-13	2013-14	% बदलाव
I यात्री वाहन (पीवी)			
यात्री कार	15,34,868	14,54,692	-5.22
यूटिलिटी वाहन (यूवी)	4,51,937	4,31,192	-4.59
वैन	1,94,748	1,62,011	-16.81
कुल यात्री वाहन (पीवी)	**21,81,553**	**20,47,895**	**-6.13**
II वाणिज्यिक वाहन (सीवी)			
मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन			
यात्री वाहन	36,937	31,561	-14.55
माल वाहन	1,80,631	1,29,259	-28.44
कुल मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन	**2,17,568**	**1,60,820**	**-26.08**

हल्के वाणिज्यिक वाहन			
यात्री वाहन	38,784	34,882	-10.06
माल वाहन	3,83,515	3,24,953	-15.27
कुल हल्के वाणिज्यिक वाहन	**4,22,299**	**3,59,835**	**-14.79**
कुल वाणिज्यिक वाहन	**6,39,867**	**5,20,655**	**-18.63**
III तिपहिया वाहन			
यात्री वाहन	3,70,873	3,23,985	-12.64
माल वाहन	79,768	76,781	-3.74
कुल तिपहिया वाहन	**4,50,641**	**4,00,766**	**-11.07**

(ग): सरकार ने उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद **ऑटो मिशन प्लान** 2006-16 की शुरुआत की। यह मिशन प्लान ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सरकार की नीति की आधारशिला है। ऑटोमोटिव मिशन प्लान का अनुसरण करते हुए, ऑटो विनिर्माण सेक्टर में निवेश और क्षमता सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देश में इस सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी पहल की गई हैं; जैसे कि **ऑटोसेक्टर दक्षता विकास परिषद (एएसडीसी)** की स्थापना, ऑटोमोटिव उपकर निधियन के माध्यम से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता, आधिकारिक प्रमाणन और परीक्षण के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना स्थापित करने के लिए **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप)** नाम की ₹2288 करोड़ की परियोजना आरंभ करनी और सहयोगपूर्ण अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पूरी करने तथा नेट्रिप केन्द्रों के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए वाहन संबंधी अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता के भंडार तथा शीर्ष समन्वयकारी निकाय के रूप में **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)** की स्थापना करना; हाल में अनुमोदित **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020** के माध्यम से पर्यावरण पर ईंधन-उत्सर्जन के प्रभाव का शमन करने के साथ भावी ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत को वाहन निर्यात का केन्द्र तथा वाहन अभिकल्प और गुणता आश्वासन का एक केन्द्र बनाने का उद्देश्य मिशन प्लान के अनुकूल है; इसको सुनिश्चित करने के लिए ऑटो मिशन प्लान 2006-16 की समीक्षा की जा रही है। विभाग ने उपर्युक्त सभी पहलों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन नियमित रूप से किया है और वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग सहित संबंधित हितधारकों को वाहनों, विशेषकर भारी वाहनों पर उत्पादन शुल्क कम करने तथा निर्यात पर शुल्क तथा प्रत्येक वर्ष बजट में निधियों का पर्याप्त आबंटन करने के लिए नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन पर कई सारे सुझाव दिए हैं। सरकार ने **जे एन एन यू आर एम-II** स्कीम के अंतर्गत 10,000 बसें खरीदने का भी निर्णय लिया है।

*****